न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)
I.DNo-UP 5743
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1231 / 2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–2655 / 2026
CNR UPLP 0100 5653 2026

विवेक शुक्ला आयु लगभग 27 वर्ष पुत्र कृष्ण कुमार निवासी मौजमाबाद सुन्दरवल, थाना फूलबेहड़, जिला लखीमपुर खीरी।

बनाम

उ0प्र0राज्य

मु0अपराध संख्या–159 / 2026
धारा–80(2), 85 बी0एन0एस0 एवं
धारा 3 / 4 डी0पी0 एक्ट,
थाना–फूलबेहड़,
जिला लखीमपुर खीरी।

25.07.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी / अभियुक्त विवेक शुक्ला की ओर से मु0अपराध संख्या–159 / 2026 धारा–80(2), 85 बी0एन0एस0 एवं धारा 3 / 4 डी0पी0 एक्ट, थाना–फूलबेहड़ जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षिप्त अभियोजन कथनानुसार वादी मुकदमा अखिलेश कुमार मिश्रा ने दिनांक 11.05.2026 को संबंधित थाने पर तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि उसने अपनी बहन रिया मिश्रा की शादी मयंक शुक्ल पुत्र रामप्रकाश के साथ दिनाक 21.05.2022 की थी, जिसमें मयंक शुक्ला एवं उसके परिवार वालों की मांग के अनुसार दान दहेज दिया था, दिए गए दान दहेज से उसके बहनोई मयंक शुक्ला, ससुर रामप्रकाश शुक्ला, देवर विवेक शुकरा ददिया ससुर रामस्वरूप शुक्ला, सास भोली दिये गये दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे अतिरिक्त दहेज में बुलेट मोटर साइकिल एवं 10 ग्राम सोने की चैन की मांग करने लगे। उसने, उसके पिता एवं अन्य लोगों द्वारा समझाने का उपरोक्त लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ां उल्टें उपरोक्त सभी लोग उसकी बहन रिया मिश्रा की प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 11.05.2026 को समय लगभग 01:19 बजे उसकी भाभी रंजना मिश्रा के मोबाइल पर विवेक

शुक्ला ने फोन करके बताया कि तुम्हारी ननद रिया मिश्रा की मृत्यु हो गयी है, वादी ने विवेक शुक्ला को अपने मोबाइल नंबर से फोन किया तब उसने बताया कि हम लोग रिया मिश्रा के मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराने लखीमपुर पोस्टमार्टम हाउस आये हुए हैं। वह अपने परिजनों के साथ पोस्टमार्टम हाउस लखीमपुर आया तब सभी अभियुक्त उसे एवं उसके परिजनों को देखकर मौके से भाग गये। उसकी बहन के शरीर पर हाथों एवं गले पर चोट के निशान थे। अभियुक्तगण ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण एक राय होकर उसकी बहन की हत्या कर दी है इसमें मयंक शुक्ला के बहनोई जो होमगार्ड में हैं उनकी सलाह पर ही उपरोक्त लोगों द्वारा यह घटना कारित की गयी है तथा पोस्टमार्टम हाउस पर भी मयंक शुक्ला के बहनोई द्वारा भी यह कहा गया कि तुम्हें जो करना है करो जाकर तुम हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण मयंक शुक्ला, राम प्रकाश शुक्ला, विवेक शुक्ला, रामस्वरूप शुक्ला, भोली व मयंक शुक्ला के बहनोई नाम अज्ञात के विरूद्ध उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का देवर है तथा विधि का छात्र है एवं शादीशुदा है घटना के समय वह मौके पर मौजूद नही था, उसे देवर होने के नाते झूठा फसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर दिनांक 05.08.2026 को है प्रार्थी के पास स्वंय मोटर साइकिल मौजूद है प्रार्थी/अभियुक्त मृतका के पति से अलग रहता है। मृतका का मानसिक संतुलन ठीक नही था वह अवसाद मे रहती थी इसलिए उसने स्वंय सुसाइड कर लिया। शादी के एक वर्ष बाद ही उसके पिता ने मृतका व उसके पति को अलग कर दिया था। मृतका के शरीर पर कोई चोट नही पायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा मिली जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधारो पर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

5— वादी के प्राइवेट अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका से अतिरिक्त दहेज मे मोटर साइकिल व सोने की चैन की मांग की गयी और मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित किया

तथा विवाह के सात वर्ष के अन्दर उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का देवर है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के प्राइवेट अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का देवर है और तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर, असामान्य परिस्थितियों में कारित हुयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण Death is due to asphyxia as a result of antemortem hanging से होना अंकित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे मृतका के शरीर पर लिगेचर मार्क के अतिरिक्त एक अन्य चोट भी पायी गयी है। वादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि उसकी बहन के ससुराल वाले दहेज मे मोटर साइकिल व सोने की चैन न देने की बात को लेकर उसकी बहन को प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8— अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विवेक शुक्ला का जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
25.07.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.27 10:49:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court